

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(77)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 15, जून, 2016

-: आज्ञा :-

संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी/स्वीकृतियां/2013-14 स्वीकृति सं. 12/2016-17 दिनांक 06.06.2016 राशि रू. 2279.47 लाख, स्वीकृति सं. 13/2016-17 दिनांक 06.06.2016 राशि रू. 1000.00 लाख, स्वीकृति सं. 14/2016-17 दिनांक 06.06.2016 राशि रू. 25.00 लाख, स्वीकृति सं. 15/2016-17 दिनांक 06.06.2016 राशि रू. 581.73 लाख, स्वीकृति सं. 16/2016-17 दिनांक 06.06.2016 राशि रू. 500.00 लाख एवं स्वीकृति सं. 17/2016-17 दिनांक 06.06.2016 राशि रू. 100.00 लाख के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रुपये 4486.20 लाख (अक्षरे रुपये चवालीस करोड़ छियासी लाख बीस हजार) मात्र की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निम्न बजट मदों से राशि आहरित कर व्यय करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

मांग संख्या-30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,

(20)- जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)

[02]- जनजाति छात्र/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रू. 2279.47 लाख

[21]- पब्लिक स्कूल भवन निर्माण एवं नवीनीकरण

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रू. 1000.00 लाख

[28]- धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रू. 25.00 लाख

[29]- छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रू. 581.73 लाख

[22]- आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रू. 500.00 लाख


[31]- चिकित्सा भवनों का निर्माण

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रू. 100.00 लाख

राशि रू. 4486.20 लाख

इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय की सूचना प्रतिमाह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को उपलब्ध कराई जावेगी। इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय का अंक मिलान अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

आज्ञा से,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 4 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 संबंधित लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को भेजकर लेख है कि कार्यकारी एजेन्सी को राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावे।
- 8 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 9 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)